


तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इशियल्स जज	नम्बर : अहकाम हुकम में जारी
4/6/19	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी के वकिल उप0।</p> <p>प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 871/664, 666/497 रकबा कमशः 15, 23 बीघा भूमि, मौजा -अग्वावाडी, पटवार क्षेत्र-शिव, भु- अभिलेख निरीक्षक - शिव, तह0 शिव में भूमि आई हुई है।</p> <p>प्रार्थीनी की उपरोक्त भूमि के सेढा - सेढा ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीनी की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि पर जबरन काशत कर लेते है तथा प्रार्थीनी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है।</p> <p>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 07 को जरिये नोटिस डाक रजिस्टर एडी से भेजे हुये को 30 दिन से अधिक समय व्यतीत हो चुका है।</p> <p>अतः सी.पी.सी. Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण 1 से 07 के सम्मन तामील हो गए है। सम्मन तामील होने के बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः विप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीनी के वकील की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थीनी के खेत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।</p> <p>अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थीनी की पक्की नेखगबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।</p>	

— आदेश —

अतः चिमूदेवी पत्नी हंसाराम, जाति— माली, नि० अम्बावाडी, तह० शिव का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 871/664, 666/497 रकबा कमशः 15, 23 बीघा भूमि मौजा— अम्बावाडी, पटवार हल्का— शिव, भु— अभिलेख निरीक्षक— शिव, तह० शिव के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/— रूपये प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंदी दोनो पक्षों की मौजूदगी में की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
शिव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :-50/2019

क्रमांक/आवेदन/19/2690


दिनांक-14/6/19

प्रार्थनी	बनाम	विप्रार्थीगण
चिमूदेवी पत्नी हंसाराम, जाति- माली, नि0 अम्बावाडी, तह0 शिव।		ताराराम पुत्र सांवताराम वगैरा (07)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
आदेश

प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थनी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में खेत खसरा नम्बर 871/664, 666/497 रकबा 15, 23 बीघा भूमि मौजा अम्बावाडी, पटवारी हल्का - शिव, भू- अभिलेख निरीक्षक- शिव, तह0 शिव के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थनी कमीशनर शुल्क 1000/- मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थनी के खसरो की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखमबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी
शिव
शिव

क्रमांक/आवेदन/19/2691-96

दिनांक-14/6/19

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव को पालनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक शिव को सूचनार्थ।
3. हल्का पटवार शिव को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक शिव द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थनी चिमूदेवी पत्नी हंसाराम को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण ताराराम पुत्र सांवताराम वगैरा (07) को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

